मालीराम बनाम बनवारी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु.नं–231/2012 दावा	
20.9.21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5.10.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
05.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कोटड़ी सिमारला में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने दौराने शिविर उपस्थित होकर प्रकरण में पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण संख्या 1 व 2 एंव तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 की पहचान एंव तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 के वारिसान् 6/1 से 6/3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया एंव उपस्थित प्रतिवादी नं. 1 के कायम मुकामान् प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/4, 1/5 की पहचान एंव प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/3 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकुंलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा पेश वादपत्र बरूए राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रांवली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 05/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– कोटड़ी सिमारला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्प:— कोटड़ी सिमारला, पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
231 / 2012	2015 / 144	25.07.2012	05.10.2021

उनवान

1. मालीराम पुत्र रामेश्वर उम्र–69
2. सत्यनारायण पुत्र रिछपाल उम्र–49 वर्ष

जाति ब्राह्मण निवासीगण होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र बालू मृत्तक के बजाय:—

1/1 रूकमणी देवी पत्नि स्व. बनवारीलाल उम्र–52 साल

1/2 पिंकी पुत्री स्व. बनवारीलाल उम्र– 30 वर्ष

1/3 सोहन शर्मा पुत्र स्व0 बनवारीलाल उम्र– 28 वर्ष

1/4 श्रीराम शर्मा पुत्र स्व. बनवारीलाल उम्र–25 वर्ष

1/5 श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्व0 बनवारीलाल उम्र– 21 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर

3. पटवारी हल्का होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

5. ज्यानकी देवी पत्नि रिछपाल आयु [illegible] वर्ष

6. हजारीलाल पुत्र मान्या उर्फ मानाराम मृत्तक के [illegible]

6/1 इन्द्रा देवी पत्नि स्व0 हजारीलाल

6/2 मंजू देवी पुत्री स्व0 हजारीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:05 IST
Reason: SelfAttested

05/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6/3 लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 हजारीलाल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित—

श्री कमल कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, प्रतिवादीगण अभिभाषक।
श्री झाबर सिंह भारणी, प्रतिवादीगण अभिभाषक।

दावा बाबत ईस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम होल्या का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 998, 1035, 1059 कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खातेदारी वादी नम्बर 1 के पिता रामेश्वर, प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता बालू व वादी नम्बर 2 के पिता व तरतीबी पक्षकार नम्बर 5 के पति रिछपाल व तरतीबी पक्षकार नम्बर 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादी एक ही परिवार के है जो सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। सजरा खानदान अनुसार मान्या उर्फ मानाराम के चार पुत्र रामेश्वर, बालू, रिछपाल व हजारी लाल हुये तथा इसी अनुसार भूमि चारो के 1/4-1/4 हिस्से अनुसार दर्ज हो गई। उक्त वादग्रस्त भूमि के पुराने भूमि खसरा नम्बर 403 व 404 थे। प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में पुरानी भूमि खसरा नम्बर 749 व 751 आयी थी व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण पक्षकार के पिता/पति व स्वंय के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 403 व 404 आई थी। प्रतिवादी नं. 1 के पिता ने अपने हक व हिस्से में आई भूमि को सन् 1993 में जरिये विकय पत्र मुरलीराम, गिरधारीराम पुत्रान परसाराम जाट निवासी होल्याकाबास को विकय कर दी थी। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार की भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 व इसके पिता का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं था ना ही वर्तमान में है। वादीगण व तरतीबी पक्षकारान ने अपनी स्वंय की मेहनत व लाखों रूपए लगाकर उन्नत व उपजाऊ बनाया है। वादीगण एंव तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20.05 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड आदि से वंचित हो रहे है एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे है। इसलिए अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने भूमियों का बाहमी बंटवारा आपसी काश्त की सुविधा अनुसार कर रखा है। जिसके अनुसार मौके पर वादीगण व तरतीबी पक्षकार उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत यह वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण व तरतीबी पक्षकार ने अपने हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 998, 1035, 1059 कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास का वादी नम्बर 1 को 1/3 हिस्से का तथा वादी नम्बर 2 व तरतीबी पक्षकार 5 को 1/3 हिस्से का व तरतीबी पक्षकार नम्बर 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 के मृत्तक पिता बालू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाये जाने बाबत उक्त वादपत्र इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 के द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य में वादीगण के शपथ पत्र लिये गये। प्रकरण को जिरह में लिया गया। प्रतिवादी नं. 1 व 6 के फौत होने पर उनके कायम मुकामान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश हुआ। इसी दौरान पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के वारिसान् के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान--2021 के तहत ग्राम पंचायत कोटड़ीं सिमारला में आयोजित शिविर में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादपत्र को डिकी किये जाने का निवेदन वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा किया गया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। ... सुनी। पत्रावली का

हमनें वकुलाय उभय ... बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:05 IST
Reason: SelfAttested

05/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 के अनुसार वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/दादा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिनमें से बालूराम पुत्र मानाराम ब्राह्मण के द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 28.11.1983 को मुरलीधर व गिरधारी पुत्रगण परसाराम को कर दिया था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम खातेदारी रिकार्ड में दर्ज करने बाबत उक्त दावा पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त विक्रय लेख के आधार पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नं. 5 व 6 के वारिसान् खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण नं. 1 व 6 के वारिसान् की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दौराने शिविर राजीनामा भी पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस कायम मुकामान् संख्या 1/1 से 1/5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के वारिस कायम मुकामान् 6/1 से 6/3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने से प्रकरण में पूर्व में कायम तनकी वाईज फैसला दिया जाना आवश्यक नहीं है। पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त प्रस्तुत राजीनामा से वकील प्रतिवादीगण भी सहमत है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी सं. 6 के वारिसान् 6/1 से 6/3 व मृत्तक हजारी के सभी वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपयुक्त विश्लेषण [illegible] की वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर [illegible] का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 998, 1035, 1059 कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर के 1/3 हिस्सा का वादी नं. 1 को व 1/3

02/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्सा का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 5 ज्यानकी देवी को तथा 1/3 हिस्सा का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से खातेदार मृत्तक बालू पुत्र मान्या का नाम दर्ज हिस्सा 1/3 से हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के कायम मुकामान् वारिस तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/3 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कोटड़ी सिमारला

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः–कोटड़ी सिमारला के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

05/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कोटड़ी सिमारला

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:05 IST
Reason: SelfAttested